जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- थाना शेरकोट **दिनांक 10-07-2025**

थाना शेरकोट पुलिस ने अभियुक्त को अवैध शस्त्र व जिन्दा कारतूस सहित किया गिरफ्तार।

कार्यवाही विवरण-

थाना शेरकोट पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त शाहिद पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम हाफिजाबाद थाना शेरकोट जनपद बिजनौर को एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर सहित गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर थाना शेरकोट पर मु0अ0सं0 118/25 धारा 3/25 आयुध अधिनियम बनाम शाहिद उपरोक्त पंजीकृत किया गया। अग्रिम आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता :–

शाहिद पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम हाफिजाबाद थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

बरामदगी विवरण-

एक अवैध तमंचा 315 बोर व एक जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम :-

1.उ0नि0 गौरव कुमार थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
2.हे0का0 361 राजेन्द्र सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर
3.हे0का0 337 गजेन्द्र सिंह थाना शेरकोट जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना नगीना देहात **दिनांक – 10.07.2025**

थाना नगीना देहात पुलिस ने मु0अ0सं0 168/25 धारा 109(1)/115(2)/351(2)/352 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 09.07.2025 वादी नवीन सैनी पुत्र मुकेश सैनी निवासी ग्राम असलमपुर भुल्लन उर्फ गढी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर द्वारा थाना नगीना देहात पर तहरीर दी गयी कि दिनांक 08.07.2025 को गांव के ही अभियुक्तगण (1)आकाश पुत्र मुकेश (2) सोनू पुत्र मान सिंह (3) मनोज कुमार पुत्र भूरे सिंह (4) हर्ष पुत्र मुकेश द्वारा वादी के साथ यह कहते हुए गाली-गलोच करते हुए मारपीट की गयी कि उसने उनके लडके हर्ष पर टोना/टोटका करा दिया है, बचाव में आयें वादी के परिजनों के साथ भी अभियुक्तगण द्वारा जान से मारने की नीयत से लाठी-डन्डो से वार किये गये,जिससे वादी के पिता व बहन घायल हो गये।

इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना नगीना देहात पर मु0अ0सं0-168/25 धारा 109(1)/115(2)/351(2)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया है। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में धारा 118(1) बीएनएस की वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

आज दिनांक 10.07.2025 को थाना नगीना देहात पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त आकाश पुत्र मुकेश निवासी ग्राम असलमपुर भुल्लन उर्फ गढी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पता –

आकाश पुत्र मुकेश निवासी ग्राम असलमपुर भुल्लन उर्फ गढी थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 विनोद कुमार थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

2.उ0नि0 श्री हिमान्शु थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

3.हे0का0 633 सुभाष चन्द थाना नगीना देहात जनपद बिजनौर।

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना धामपुर **दिनांक – 10.07.2025**

थाना धामपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 263/25 धारा 103(1)/115(2)/352 बीएनएस में वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 06.07.2025 को वादी विकास राजपूत पुत्र स्व0 भूदेव सिंह निवासी ग्राम फतियाबाद थाना नूरपुर जनपद बिजनौर द्वारा थाना धामपुर पर तहरीर दी गयी कि उसकी बहन वंदना देवी की शादी लगभग 25 वर्ष पूर्व चन्द्रशेखर पुत्र कृष्ण कुमार निवासी ग्राम नौरंगाबाद थाना धामपुर जनपद बिजनौर के साथ हुई थी, परन्तु शादी के 01 साल बाद ही चन्द्रशेखर उपरोक्त उसकी बहन वंदना के साथ गाली-गलौच और मारपीट करने लगा था तथा चन्द्रशेखर उपरोक्त अत्यधिक नशा करने का आदी है।

दिनांक 05-07-2025 को चन्द्रशेखर ने उसकी बहन वंदना के साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की तथा जान से मारने की नीयत से उसके ऊपर तेल छिड़क कर आग लगा दी, जिससे वादी की बहन गम्भीर रूप से झुलस गयी है,जिससे उसकी उपचार के दौरान मृत्यु हो गयी थी। इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना धामपुर पर मु0अ0सं0-263/25 धारा 109(1)/115(2)/352 बीएनएस पंजीकृत किया गया है। विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोग में धारा 109(1) बीएनएस लोप करते हुए धारा 103(1) बीएनएस वृद्धि की गयी।

कार्यवाही –

आज दिनांक 10.07.2025 को थाना नजीबाबाद पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त चन्द्रशेखर पुत्र कृष्ण कुमार निवासी ग्राम नौरंगाबाद थाना धामपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

पुछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पुछताछ करने पर बताया कि उसकी शादी को लगभग 25 वर्ष हो चुके हैं और वह शराब पीने का आदी है। इसी कारण उसका पत्नी वंदना से झगड़ा होता रहता था। दिनांक 05.06.2025 को उसके द्वारा पत्नी वंदना से शराब के लिए पैसे मांगने को लेकर दोनों के बीच विवाद हो गया, जिससें गुस्से में आकर उसने वंदना पर घर में रखा तेल डालकर आग लगा दी।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पता –

चन्द्रशेखर पुत्र कृष्ण कुमार निवासी ग्राम नौरंगाबाद थाना धामपुर जनपद बिजनौर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री प्रदीप कुमार थाना धामपुर जनपद बिजनौर
2.हे0का0 402 धर्मवीर खोखर थाना धामपुर जनपद बिजनौर
3.का0 2228 सोनू राणा थाना धामपुर जनपद बिजनौर

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर **दिनांकः- 10.07.2025**

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में 30वें हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त सहित 02 अभियुक्तगण को आजीवन कारावास व कुल 84,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित कराया गया।

कार्यवाहीः–

दिनांक 20.03.2022 को वादिया ने थाना किरतपुर पर तहरीर दी कि राजन पुत्र नरपाल सिंह निवासी ग्राम शादीपुर जौना थाना किरतपुर जनपद बिजनौर ने अपने अज्ञात साथियों के साथ मिलकर वादिया के घर के सामने वादिय को पुराने मुकदमे वापस लेने के लिये जान से मारने धमकी दी गयी तथा अवैध तमंचो से फायर कर मौके से फरार हो गये। इस संबंध में थाना किरतपुर पर मु0अ0सं0 70/22 धारा 307/506 भादिव पंजीकृत किया गया।

स्थानीय पुलिस द्वारा विवेचनात्मक कार्यवाही के दौरान हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त राजन पुत्र नरपाल सिंह निवासी ग्राम शादीपुर जौना थाना किरतपुर जनपद बिजनौर व रिपुल पुत्र दिग्विजय सिंह निवासी ग्राम औरंगपुर नन्दलाल थाना किरतपुर जनपद बिजनौर को अवैध तमंचे सहित गिरफ्तार कर विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण करते हुये आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

उपरोक्त अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 10.07.2025 को मा0 न्यायालय स्पे0 जज/एससी/एसटी एक्ट द्वारा अभियुक्तगण राजन (हिस्ट्रीशीटर) व रिपुल उपरोक्त को मु0अ0सं0 70/22 धारा 307/452/504/506 भादवि व धारा 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में आजीवन कारावास व प्रत्येक को 42 – 42 हजार रुपये के अर्थदण्ड (कुल 84,000 रुपये) से दण्डित किया गया है।

नोट- उल्लेखनीय है कि अभियुक्त राजन उपरोक्त थाना किरतपुर का हिस्टीशीटर (हिस्ट्रीशीट सं0 101ए) अपराधी है जिसके कोतवाली शहर, नांगल, नजीबाबाद व किरतपुर पर पर आर्म्स एक्ट, गैगस्टर एक्ट व जानलेवा हमला करने जैसी गंभीर धाराओं में करीब 01 दर्जन से अधिक अभियोग पंजीकृत है।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- हिस्ट्रीशीटर अभि0 राजन पुत्र नरपाल सिंह नि0 ग्राम शादीपुर जौना थाना किरतपुर (हिस्ट्रीशीट सं0 101ए)
2- रिपुल पुत्र दिग्विजय सिंह निवासी ग्राम औरंगपुर नन्दलाल थाना किरतपुर जनपद बिजनौर।

प्रेस नोटः- जनपद बिजनौर दिनांकः- 10.07.2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में थाना बढापुर पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा की गई प्रभावी पैरवी से माननीय न्यायालय द्वारा 308/34, 323/34, 504, 506(2) के 04 आरोपी अभियुक्तगण को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 32,000/- रूपये के अर्थदण्ड से किया दण्डित।

कार्यवाहीः–

अवगत कराना है कि दिनांक 01.09.2020 को वादी श्री अतरपाल सिंह पुत्र श्री बसंता सिंह निवासी ग्राम ईस्माईलपुर दमी थाना बढापुर जनपद बिजौनर ने थाना बढापुर पर तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1- अरविन्द पुत्र बाबूराम 2- नीरज पुत्र प्रेम सिंह 3- वीरेन्द्र पुत्र कल्लू 4- जयप्रकाश पुत्र मुन्नू निवासीगण ग्राम ईस्माईलपुर दमी थाना बढापुर जनपद बिजनौर ने वादी के घर के पास आकर वादी व वादी के बेटे के साथ मारपीट की गयी । इस संबंध में वादी की तहरीर के आधार पर थाना बढापुर पर मु0अ0सं0 227/20 धारा 323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया। विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

इस अभियोग में स्थानीय पुलिस एवं मॉनिटरिंग सैल द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी की गयी एवं अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई, जिसके परिणामस्वरुप आज दिनांक 10.07.2025 को मा0 न्यायालय एडीजे (पॉक्सो एक्ट) जनपद बिजनौर द्वारा मु0अ0सं0 227/20 धारा 308/34, 323/34, 504, 506(2) भादवि के आरोपी अभियुक्तगण 1- अरविन्द 2- नीरज 3- वीरेन्द्र व 4- जयप्रकाश उपरोक्त को 03-03 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 32 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

दोषसिद्ध अभियुक्त का नाम पताः-

1- अरविन्द पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम ईस्माईलपुर दमी थाना बढापुर जनपद बिजनौर

2- नीरज पुत्र प्रेम सिंह निवासी ग्राम ईस्माईलपुर दमी थाना बढापुर जनपद बिजनौर

3- वीरेन्द्र पुत्र कल्लू निवासी ग्राम ईस्माईलपुर दमी थाना बढापुर जनपद बिजनौर

4- जयप्रकाश पुत्र मुन्नू निवासी ग्राम ईस्माईलपुर दमी थाना बढापुर जनपद बिजनौर

जनपद बिजनौर

प्रेस नोट – थाना चांदपुर **दिनांक – 10.07.2025**

थाना चांदपुर पुलिस ने मु0अ0सं0 394/2025 धारा 103(1), 238(ए) बीएनएस से सम्बंधित अभियुक्त को आलाकत्ल (कुल्हाडी) सहित किया गिरफ्तार।

घटना / कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण –

अवगत कराना है कि थाना चांदपुर क्षेत्र के ग्राम भोगपुर निवासी कमल पुत्र स्व0 रामपाल सिंह अपने पिता की मृत्यु के पश्चात पैतृक सम्पत्ति को बेचना चाह रहा था। जबकि इसका सगा भाई मदन व इनकी माँ चाहती थी कि सम्पत्ति बेची न जाए।

इसी बात को लेकर दिनांक 09.07.2025 को जब कमल की माँ शौच के लिये जाने लगी तो कमल ने विवाद उत्पन्न किया और शौचालय का ताला लगाने लगा। इसी विवाद में मदन ने कमल की कुल्हाडी से वार कर हत्या कर दी। उक्त प्रकरण के सम्बंध में थाना चांदपुर पर मु0अ0सं0 394/2025 धारा 103(1)/238(क) बीएनएस बनाम मदन उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

आज दिनांक 10.07.2025 को थाना चांदपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मदन पुत्र स्व0 रामपाल निवासी ग्राम भोगपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त की निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल (कुल्हाडी) बरामद की गयी है। आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

मदन पुत्र रामपाल निवासी ग्राम भोगपुर थाना चाँदपुर जनपद बिजनौर

बरामद माल का विवरण –

घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल (कुल्हाडी)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1.उ0नि0 श्री संजय कुमार तोमर थानाध्यक्ष, चांदपुर जनपद बिजनौर
2.उ0नि0 श्री हिमांशु पँवार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
2.कां0 671 जैकी कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
3.कां0 810 मोनू कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर
4.कां0 963 अर्जुन कुमार थाना चांदपुर जनपद बिजनौर